

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के पत्र सं० 198/xiv-1/18/03 (01) 18 दिनांक 12.02.2018 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके स्थानान्तरण विभागीय स्तर पर किये जाने हैं, के सम्बन्ध में पद स्थापना का वर्गीकरण कर सुगम तथा दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन करते हुए उसका प्रकटीकरण उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर निम्नानुसार वर्णित है:-

(1) सुगम क्षेत्रान्तर्गत जनपद :-

1- देहरादून, 2- हरिद्वार, 3-उधमसिंहनगर, 4-नैनीताल, 5-अल्मोड़ा, 6- टिहरी।

(2) दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत जनपद:-

1- पौड़ी, 2- उत्तरकाशी, 3- चमोली, 4- रुद्रप्रयाग, 5-चम्पावत, 6- बागेश्वर,
7- पिथौरागढ़।

(बी०एम०मिश्र)

निबन्धक

सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।